

प्रेषक,

एचओपी० सिंह
विशेष साधेव
उम्मो शासन।

सेना मं.

✓ निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उम्मो, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2015

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्यों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्थीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1635/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्यों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-हरदोई की निकाय शाहबाद की 33 आवासीयों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1992/69-1-13-37(आसरा-37)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा ₹ 98.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 49.46 लाख की वित्तीय स्थीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक वजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि ₹ 49.46 लाख (रुपये उनचास लाख छियालिस हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन सहृदय स्थीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि लाख रुपये में)						
क्र०	जनपद/ सं० निकाय का नाम	कुल आवासीय की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामाजिक वर्ग के लाभार्थियों आवासीयों की संख्या	सामाजिक वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्थीकृत वी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हरदोई/ शाहबाद	48	143.89	33	98.92	49.46
योग				33	98.92	49.46

(रुपये उनचास लाख छियालिस हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीरी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीरी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरिति खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अप्रौढ़ अंकित

14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से वयाद्यवरथा धनराशि अवगुवत करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0य०) लिखादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूडा को लिटेशन किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-दयवक में अवृद्धान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिवर्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास 800 अन्य दयव-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्गोलग ज्ञान संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व राज्य-राज्य पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवधीय
५०२५
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या १५२ /2015/1803(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतीलिपि शिक्षालियित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०.२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. गिरेशक, रशानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठां तल, संगम प्लेस, सिपिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. डिलाइकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरदोई।
5. वित्त (दयव-लियंगण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुग्राम-४, ३०प्र० शासन।
7. मुद्रग कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त लियंगक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वजट समर्थक।

आज्ञा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।